

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
------------------------	--	--



18/3/24

वकुलाप उपस्थित / वकील श्री कैलाश गुहा
उपाधी श्री चंदाबाल द्वारा अर्चनापत्र
पीठासीन अधिकारी मधेदप, तलेडा
का ह्रांसफर हो जाने से कार्यवाही
निरस्त करने हेतु पेश किया गया, नकल
वकील उपाधी श्री कृष्णपुरारी दायीय
को दी गई। वकील उपाधी द्वारा उक्त
अर्चनापत्र को आपत्ति नहीं होने अंकित
किया तथा आदेशिका पर No objections
किया गया। ऐसे में वकील उपाधी द्वारा
ह्रांसफर अर्चनापत्र को निरस्त किपे
जाने में कोई आपत्ति नहीं होने स्वी
तत्कालीन पीठासीन अधिकारी तलेडा
का अन्वय स्थानान्तरण हो जाने से
प्रकरण को इसी स्टेज पर निर्णीत
किया जाना न्यायोचित है। अतः
अर्चनापत्र उपाधी अस्वीकार किया
जाता है तथा SDO तलेडा की मूल
फावली 92/दावा/2021 बडनवान
गुलशन बनाम वगैरे बनाम बहादुर खां वगैरे
आगामी पेशी दिनांक 06/5/2024 निपत
की जाकर वापस लौटाई जाती है। फावली
फैसल में शुमार होकर दायिलदफ्तर हो

~~कैलाश गुहा~~
वकील उपाधी
कृष्णपुरारी
व-प्रती
Noobj
18-3-2024